International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 15 Issue 03, March 2025,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

बाल अपराध

डॉ0 सुलेखा रानी
ग्राम+पो0– लदौरा
थाना+प्रखंड– कल्याणपुर, जिला–समस्तीपुर, बिहार

सार–संक्षेप

भारत में बाल अपराधी आम तौर पर छोटी–मोटी चोरी से लेकर हमला या यहाँ तक कि हत्या जैसे अधिक गंभीर अपराधों में शामिल होते हैं। इस अपराध के पीछे कई कारण होते हैं, जिनमें गरीबी, पारिवारिक कलह, साथियों का प्रभाव, शिक्षा की कमी, सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव तथा मादक द्रव्यों के सेवन के संपर्क में आना आदि शामिल हैं। सामाजिक–आर्थिक स्तर पर गरीबी बाल अपराध का एक महत्वपूर्ण कारण है। कई बाल अपराधी गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ उनके बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं और ऊपर की ओर बढ़ने के अवसर कम होते हैं। ऐसे वातावरण में, अपराध वित्तीय लाभ या सामाजिक स्वीकृति के लिए एक व्यवहार्य शॉर्टकट के रूप में दिखाई दे सकता है। शिक्षा की अनुपस्थिति इस संबंध में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शैक्षणिक संस्थान केवल सीखने के लिए ही नहीं बल्कि समाजीकरण के लिए भी उपयुक्त स्थान हैं। जो बालक स्कूल छोड़ देते हैं या जिन्हें शिक्षा के अवसरों से वंचित रखा जाता है, उनके अपराधी व्यवहार में शामिल होने का जोखिम अधिक होता है, क्योंकि वे स्कूली शिक्षा से मिलने वाले बौद्धिक और सामाजिक लाभों से वंचित रह जाते हैं। सांस्कृतिक रूप से, भारतीय परिवारों की संरचना और गतिशीलता भी बाल व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। कुछ मामलों में, कठोर अनुशासन या, इसके विपरीत, उपेक्षा नाबालिगों को अपराध की ओर धकेल देता है। इसके अलावा, डिजिटल युग और मास मीडिया के प्रभाव को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। आज का बालक बहुत सी जानकारी के संपर्क में हैं, जिनमें से कुछ हिंसा या आपराधिक गतिविधियों का महिमामंडन भी शामिल हैं, जो उनकी आपराधिक गतिविधियों को आकार देती हैं और संभावित रूप से उनके अपराधीक कार्यों को निर्देशित करती हैं। इस प्रकार बाल अपरारध एक चुनोती बनकर हमारे सामने खड़ा है। अतः बाल अपराध के समाधान के लिए कानूनी प्रणाली से आगे बढ़कर सामाजिक कल्याण, शिक्षा सुधार, सकारात्मक वातावरण को शामिल करने की आवश्यकता है।

शब्द कुंजी : बाल अपराध, चोरी, हत्या, शिक्षा का अभाव, परिवारिक संरचना आदि।

प्रस्तावना

बाल अपराध हमारे समाज व देश के सामने एक गंभीर चुनोती बनकर खड़ा है। आए दिन आल अपराधी की खबड़े विभिन्न समाचार चैनलों के माध्यम से हमें प्राप्त होती रहती है। बाल अपराध जैसे की नाम से स्पष्ट है कि बच्चों द्वारा किया जाने वाला अपराध। बाल अपराध की समस्या समाज के लिए नई नहीं है। यह सभी समाजों में होता है, चाहे वह सरल हो या जटिल। बाल अपराध नाबालिगों (वयस्कता की वैधानिक आयु से कम आयु के व्यक्ति)द्वारा किए

गए आपराधिक कृत्य या अपराध हैं। ये अपराध वयस्कों की तरह 'अपराध' की श्रेणी में नहीं आते। बल्कि, नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों को 'अपराधी कृत्य' कहा जाता है। यह केवल कानूनी समाधान नहीं है, बल्कि इसमें समस्या के मनोवैज्ञानिक और पारिवारिक दोनों पहलुओं पर विचार करना होता है। इसमें दो तरह के व्यवहार शामिल हैं, यानी स्थिति और अपराधी का अपराध। स्थिति अपराध वे हैं जो बच्चों और किशोरों के लिए अनुपयुक्त या अस्वस्थ हैं और इसलिए अपराधी की आयु के कारण व्यवहार निषिद्ध है। धूम्रपान, शराब पीना, स्कूल से भागना और घर से भाग जाना स्थिति अपराधों के कुछ उदाहरण हैं। अपराधी का अपराधों का मतलब है क़ानूनों का उल्लंघन। उदाहरण के लिए, हत्या, बलात्कार, हमला, उत्पीड़न, पीछा करना, डकैती आदि।[1]

बाल अपराध के कारण

कोई भी व्यक्ति जन्मजात अपराधी नहीं होता। बच्चे के घर के अंदर और बाहर की विभिन्न परिस्थितियाँ उसके जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बालकों का अपराधों से जुड़ने का सबसे आम कारण हैं गरीबी, बाल शोषण, मानसिक संघर्ष, किशोरावस्था में अस्थिरता, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, अपमानजनक माता–पिता, पारिवारिक हिंसा और असामाजिक सहकर्मी समूह आदि।[2]

हालाँकि, जहाँ तक भारत का सवाल है, गरीबी बच्चों के जीवन में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। यह एक प्रमुख कारण है जिसके कारण बच्चे आपराधिक कृत्यों की ओर प्रवृत्त होते हैं। गरीबी बच्चों को आपराधिक कृत्यों में शामिल होने के लिए मजबूर करती है। गरीबी कई तरह से असामाजिक गतिविधियों को जन्म देती है। असंतोषजनक मानवीय संबंधों को अक्सर अभाव और गरीबी से उत्पन्न होते देखा गया है। चूंकि गरीब लोगों में कुपोषण और खराब शारीरिक स्वास्थ्य के कारण मानसिक प्रतिरोध कम होता है। वे झुग्गी–झोपड़ियों में रहते हैं जहाँ पड़ोस और पर्यावरण पर्याप्त व सुरक्षित नहीं है क्योंकि उनके पास आवासीय इलाके के चयन में कोई अन्य विकल्प नहीं है। इससे खराब परिस्थितियाँ पैदा होती हैं क्योंकि बच्चे सड़कों पर अपना मनोरंजन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बजट की समस्या पति–पत्नी के बीच झगड़ों को बढ़ाती है और इस तरह वे अपने बच्चों पर उचित ध्यान और देखभाल नहीं दे पाते हैं, हालाँकि वे उनसे प्यार करते हैं। इसके अलावा, पैसे की कमी के कारण, स्कूल जाने वाले बच्चों की उचित माँगों का मज़ाक उड़ाया जाता है और अंततः शिक्षा प्रभावित होती है। गरीबी अलग–अलग लोगों पर अलग–अलग असर डालती है, जैसे कुछ लोगों के लिए इसका दबाव असामाजिक व्यवहार का कारण बन सकता है।

आज सोशल मीडिया किशोर मन पर सकारात्मक से ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। इस बात पर चिंता बढ़ रही है कि सोशल मीडिया जो निस्संदेह सूचना, शिक्षा और मनोरंजन देता है, बच्चों के मन में प्रदूषण का स्रोत बन गया है। वे अपराध के बारे में सनसनीखेज जानकारी देते हैं, यानी हथियारों के प्रकार और तकनीक। और इससे बच्चे या तो बदला लेने की भावना से अपराधी बन जाते हैं या अपने साथियों को इसके बारे में शिक्षित करते हैं। मोशन फ़िल्में दिखाती हैं कि अपराध रोमांचक हैं और यह भी दिखाती है कि ऐसे तरीके हैं जिनसे कानून को खत्म किया जा सकता है। मुख्य अपराधी वे फ़िल्में और कार्यक्रम हैं जो हिंसा और

अश्लीलता से भरे होते हैं। इस तरह की हिंसा और अश्लीलता दर्शकों को बलात्कार, डकैती, हमला या हत्या करने के लिए प्रेरित करती है। भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ साक्षरता का स्तर कम है, इस तरह की हरकतें आम रवैये और व्यवहार पर ज़्यादा असर डालती हैं।[3]

बाल अपराध के कई कारण हैं। इनमें घरेलू हिंसा, गरीबी और उच्च अपराध दर वाले क्षेत्रों में रहना, अपर्याप्त सामाजिक समर्थन और शिक्षा तक पहुँच की कमी शामिल है। कोई भी बाल अपराधी शत्रुता, क्रोध और घृणा के साथ पैदा नहीं होता है, उनके वातावरण और समाज ने उन्हें ऐसा बना दिया है। किशोरावस्था से पहले और किशोरावस्था के दौरान कई किशोर व्यवहार बच्चों के लिए सामान्य व्यवहार माने जा सकते हैं। हालाँकि, कुछ संकेत हैं कि बच्चा गलत दिशा में शामिल हो सकता है। इनमें नियमों का लगातार उल्लंघन, आक्रामक व्यवहार आदि शामिल हैं। किशोर अपराधियों में कुछ जोखिम कारक आम हैं जैसे साथियों की संगति, कम सामाजिक आर्थिक स्थिति, खराब स्कूल प्रदर्शन, साथियों द्वारा अस्वीकृति, मानसिक विकार, अनुमोदक पालन–पोषण और सत्तावादी पालन–पोषण।

परिवार में संरचनात्मक टूटन, तनाव, झगड़े आदि शांतिपूर्ण जीवन में व्यवधान पैदा करती है जिसका बच्चों पर दर्दनाक प्रभाव पड़ता है। हालांकि, कुछ परिस्थितियों में पारिवारिक वातावरण माहौल को बेहतर बनाता है। इस तरह के सुधार के पीछे मुख्य कारण परिवार के सदस्यों के बीच आपसी संवाद और परिस्थितियाँ हैं। वर्षों से, किशोर अपराध का सबसे आम कारण माता–पिता की बच्चों के पालन–पोषण में उनकी भूमिका को माना जाता है। प्रारंभिक पारिवारिक प्रशिक्षण मूल्यों और मानदंडों को विकसित करने में मदद कर सकता है जो बच्चे को समाज के मूल्यों के बारे में जागरूक बनाता है और उसकी विशेषताएँ प्राप्त करता है। बच्चों को उन कार्यों के बारे में ज्ञान होना चाहिए जो अनुमत हैं, निषिद्ध हैं और उनके पीछे का कारण भी उसे पता होना चाहिए कि दूसरों के साथ कैसे मिलना है, यानी दूसरे बच्चों और वयस्कों के साथ कैसा व्यवहार करना है। बच्चे को किस तरह से संभाला जाता है और परिवार में कौन उसका आदर्श है, इस पर निर्भर करते हुए बच्चा बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ सीखना शुरू कर देता है, यानी घर के अंदर और बाहर। माता–पिता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वे उचित और सुसंगत तरीके से व्यवहार करें ताकि बच्चा असुरक्षित महसूस न करे।

जोखिम कारक दो प्रकार के होते हैं, यानी व्यक्तिगत या पारिवारिक वातावरण और साथियों का प्रभाव। बच्चे के जीवन में पालन–पोषण की शैली और साथियों के समूह का जुड़ाव एक प्रमुख भूमिका निभाता है। लगभग सभी शोधकर्ता इस बात पर सहमत हैं कि अपराधी किसी न किसी तरह से कलह, तलाक या दुर्व्यवहार की विशेषता रखते हैं। बच्चे का आस–पास का वातावरण भी बच्चे के दिमाग को प्रभावित कर सकता है क्योंकि वह ऐसी जीवनशैली अपना सकता है जिसमें अपराधी कृत्य शामिल हों। कम बुद्धि, आवेग, आक्रामकता, सहानुभूति की कमी और बेचैनी व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक जोखिम कारकों में शामिल हैं। माता–पिता की देखरेख का स्तर, माता–पिता द्वारा बच्चे को अनुशासित करने का तरीका, माता–पिता का अलगाव, कठोर दंड, माता–पिता की उपेक्षा, माता–पिता द्वारा दुर्व्यवहार, अपराधी माता–पिता, अपराधी भाई–बहन पारिवारिक वातावरण के कुछ जोखिम कारक हैं।

वर्ष 2024 में पकड़े गए 75% किशोर 16 वर्ष से अधिक आयु के थे। वर्ष 2024 में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामले दर्ज किए गए। वर्ष 2024 में गिरफ्तार किए गए कुल किशोरों में 2,609 बार–बार अपराध करने वाले किशोर शामिल थे। वर्ष 2024 में जितनी हत्याएं हुईं, उनमें से 2.5% किशोरों द्वारा की गईं और बलात्कारों में से 5.4% बलात्कार नाबालिगों द्वारा किए गए।

बाल अपराधियों के मुकदमे के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित मजिस्ट्रेटों के साथ विशेष अदालतें स्थापित की जाती हैं। 'मुकदमे' के बजाय, किशोर को 'न्याय–निर्णय' मिलता है, जिसके बाद उसे 'निर्णय' और सजा मिलती है। इसमें अपराधियों के लिए सुधार विद्यालय बनाने का भी प्रावधान है। भारत जैसे विकासशील देश में किशोरों की उपेक्षा और अपराध की समस्या सांख्यिकी के अनुसार काफी बढ़ रही है। बाल अपराध के मूल कारक गरीबी, पारिवारिक तनाव, भावनात्मक शोषण, ग्रामीण–शहरी प्रवास, सामाजिक मूल्यों और संयुक्त परिवार प्रणाली का टूटना, माता–पिता या अभिभावकों द्वारा अत्याचार और दुर्व्यवहार, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, झुग्गी–झोपड़ियों की अस्वस्थ रहने की स्थिति और ऐसी अन्य स्थितियों के अलावा मीडिया का प्रभाव है। बाल अपराध दो बच्चों के बीच गेंद के लिए लड़ने या एक–दूसरे पर पानी के गुब्बारे फेंकने से कहीं अधिक है। ये नशीले पदार्थों से संबंधित अपराध या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ अपराध जितने गंभीर हो सकते हैं। ऐसे अपराधों की रोकथाम और उनके लिए किए जाने वाले प्रयासों में अपराधों से जुड़े कारणों और जोखिमों की पहचान करना, उन्हें संबोधित करना और फिर जोखिमों को संतुलित करने के लिए सुरक्षात्मक कारक बनाना शामिल है। शहरीकृत समाजों में जहाँ पारंपरिक जीवन शैली, सामाजिक नियंत्रण और स्थानीय समुदाय ढीले हो गए हैं, वहाँ अपराध दर चरम पर है। बच्चे किसी राष्ट्र के भविष्य के निर्माण खंड हैं। उन्हें बचाने का प्रयास करना और हमारे समाज का योगदान देने वाला सदस्य बनना हमारा प्रमुख कर्तव्य और जिम्मेदारी है।[4]

स्वतंत्रता के पश्चात किशोर न्याय अधिनियम, 1986 को अपराधी किशोरों की देखभाल, संरक्षण, पुनर्वास और विकास के लिए अधिनियमित किया गया। किशोर न्याय अधिनियम, 1986 को पूरे देश में किशोर न्याय के क्षेत्र में एक समान प्रणाली और प्रक्रिया के गठन के लिए पेश किया गया था। इस अधिनियम के तहत, किशोर लड़के की आयु सोलह वर्ष और लड़की की आयु अठारह वर्ष रखी गई थी। अधिनियम की धारा 2 (ए) के तहत किशोर की परिभाषा 'लड़का जो 16 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और लड़की जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है' के रूप में की गई है।

यह कानून यूएनसीआरसी (संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन), 1989 से पहले पारित किया गया था, जिसे 1992 के बाद भारत द्वारा अनुमोदित किया गया था। 2000 में, पूर्व कानून को निरस्त कर दिया गया और एक नया कानून जो अधिक विस्तृत था, यानी किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 अधिनियमित किया गया और बाद में अंतर्राष्ट्रीय अनुमोदित कानूनों का पालन करने के लिए बच्चे की आयु बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई।[5]

किशोर न्याय कानून के अधिनियमन के पीछे एक कारण बच्चों की देखभाल और कल्याण के संबंध में भारत के संवैधानिक दृष्टिकोण को प्राप्त करना था। भारत के संविधान के तहत प्रावधान जो बच्चों को विशेष दर्जा देते हैं, वे अनुच्छेद 15(3), 24, 39(ई) और (एफ) और 45 हैं। इसके अलावा बाल निषेध अधिनियम, 1986 को संवैधानिक निर्देशों के माध्यम से अधिनियमित किया गया था। उल्लेखनीय है कि बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति, 1974 और 2013 में घोषणा की गई है कि बच्चे राष्ट्रीय संपत्ति हैं।

किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 में प्रावधान है कि किशोर अपराधी को 'संरक्षण गृह' में रखा जा सकता है। दूसरी ओर, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही लंबित रहने तक 'बाल गृह' में रखा जाना चाहिए। इस अधिनियम के पीछे मुख्य उद्देश्य बच्चे का पुनर्वास करना और उसे समाज की मुख्यधारा में शामिल करना था। इस कदम के पीछे विचारधारा यह है कि उसकी कम उम्र और परिपक्वता की कमी के कारण उसके सुधार की संभावनाएँ हैं। इसलिए, बच्चे की सुरक्षा और सुधार की जिम्मेदारी राज्य पर है।[6]

बाल अपराध के रोकथाम के उपाय

यह व्यापक रूप से माना जाता है कि किशोर अपराध को रोकने के लिए प्रारंभिक चरण में हस्तक्षेप सबसे अच्छा तरीका है। अपराध पर नियंत्रण के लिए किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ–साथ पूर्ण सार्वजनिक जागरूकता और पेशेवरों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उचित अभिविन्यास और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। सरकार को किशोरों के लिए उपयोगी और आकर्षक लाभकारी दीर्घकालिक योजनाओं पर अधिक जोर देना चाहिए ताकि वे समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रेरित महसूस करें। इस प्रकार वे अपना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त करते हैं, जो आमतौर पर समाज के उदासीन रवैये के कारण खो जाता है। व्यवस्था में शामिल पुलिस जैसी एजेंसियों का दृष्टिकोण शुद्ध दंडात्मक के बजाय सुधारात्मक चरित्र का अधिक हो सकता है। इसका उद्देश्य अपराधियों को दंडित करने के बजाय उन्हें सुधारना हो सकता है।

रोकथाम प्रक्रिया में व्यक्तियों के साथ–साथ समूह और संगठनात्मक प्रयासों की भागीदारी शामिल है, जिसका उद्देश्य किशोरों को कानून तोड़ने से रोकना है। किशोर अपराध एक सामाजिक बीमारी है, बच्चे या किशोर का इस तरह से इलाज किया जाना चाहिए, ताकि वह समाज के साथ फिर से तालमेल बिठा सके। समाज के साथ असंतुलन को बदलना होगा। किशोर अपराध का मूल कारण बुनियादी सुविधाओं से वंचित होना है, जिसे वे असामाजिक तरीकों से पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए, हर बच्चे की बुनियादी जरूरतों को सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीके से पूरा करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, चाहे वह अपराधी हो या गैर–अपराधी। अपराधी बच्चों का अतिरिक्त ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रत्येक किशोर अपराधी पर व्यक्तिगत रूप से विचार किया जाना चाहिए। मुख्य ध्यान उसकी शक्ति, प्रतिष्ठा और मान्यता की जरूरतों की पूर्ति पर होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्तिगत मामले को ऐसे अपराधी कृत्यों को करने के पीछे विशिष्ट समस्याओं और कारणों को ध्यान में रखते हुए अलग से पढ़ा जाना चाहिए। तभी समाज में व्यक्ति का पुनर्वास, पुनः समायोजन और पुनः अनुकूलन संभव होगा।

इसके साथ ही बाल अपराध की रोकथाम के लिए अन्य उपाय किए जा सकते हैं जैसे – कुसमायोजन के लक्षणों पर नजर रखना, बच्चे को विविध अनुभव प्रदान करना, नैतिक और सामाजिक मूल्यों की एक स्थायी प्रणाली बनाने का प्रयास करना, अपराधी को अस्वीकार किए बिना अपराधी व्यवहार को अस्वीकार करना, बच्चे को असामाजिक प्रवृत्तियों के अस्तित्व के बारे में बात करना और उसे स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करना, तथा घर, स्कूल और समुदाय की स्थिति में बदलाव लाना आदि। इस प्रकार इन उपायों पर ध्यान देकर बाल अपराध को रोका जा सकता है।

निष्कर्ष

सिर्फ किशोर न्याय अधिनियम के उचित कार्यान्वयन और संशोधनों से किशोर अपराध कम नहीं हो सकते। हमारे समाज में मौजूद इस बीमारी के बारे में नागरिक समाज को जागरूक करना बहुत जरूरी है। अपराधों में शामिल किशोर न केवल अपराधी हैं, बल्कि इस बीमार समाज के पीड़ित भी हैं। किशोर अपराध को कम उम्र में ही रोका जा सकता है, बशर्ते घर और स्कूल में उचित देखभाल की जाए। माता–पिता और शिक्षक बच्चे के दिमाग को विकसित करने और ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किशोर अपराधियों को लेबल करने के बजाय उन्हें सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। उनकी सामाजिक या मनोवैज्ञानिक गलतियों को जल्द से जल्द उनके ध्यान में लाया जाना चाहिए। किसी भी अन्य अपराध से अलग यह सामाजिक बुराई हमारे समाज की कुव्यवस्था और खामियों से जुड़ी हुई है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सख्त कानून से अपराध कम होंगे। यह आदर्श धीरे–धीरे व्यापक स्वीकृति प्राप्त कर रहा है कि बाल अपराधियों को हमारे समाज की सहानुभूति और समझ की आवश्यकता है, न कि केवल कानून के कठोर हाथ की। अगर हम बच्चों के व्यक्तित्व विकास पर प्रारंभ से ही ध्यान देंगे तो निश्चय ही बाल अपराध पर नियंत्रण कर सकेंगे।

संदर्भ :

1. मुकर्जी, रवीन्द्र नाथ एवं अग्रवाल, भगत (2003) सामाजिक समस्याएँ, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, 2003
2. महाजन, संजीव (2011) सामाजिक समस्याएँ, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली
3. आहुजा, राम (1997) सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
4. नाटानी, प्रकाश नारायण एवं शर्मा, प्रज्ञा (2000) भारत में सामाजिक समस्याएँ, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर
5. पाण्डेय, गणेश (2004) अपराध शास्त्र, राधा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली
6. शर्मा, नरेन्द्र कुमार (2011) अपराधशास्त्र, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली